# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS ।

अपील संख्या 09/2021 जिला दौसा ।

श्रवण पुत्र खूबा जाति मीना निवासी ग्राम जोदया तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

1. नन्दा पुत्र रामधन
2. लालचन्द पुत्र रामधन
3. हरला पुत्र रामधन
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम जोदया तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला दौसा दिनांक 06.01.2021 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम प्रार्थना पत्र संख्या 20/2020**

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री आलोक चौधरी।
2. रेस्पोडेंट संख्या 04 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

## निर्णय

दिनांक–01.02.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला दौसा के निर्णय दिनांक 06.01.2021 के खिलाफ दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील श्रवण बनाम नन्दा वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2021 के द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की गई।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2021 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 04 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय में साबिक खरा नम्बर 176 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि पटटी काश्तकारान थी। भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 287 रकबा 0.66 है0 बना दिये। वर्तमान में उक्त भूमि का 1/4 हिस्सा अपीलांट के नाम व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के नाम 3/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर कब्जे के अनुसार 1/2 हिस्सा पर रामफूल पुत्र जीवन जाति मीना निवासी जोदया कृषि कार्य करता चला आ रहा है। एकीकरण के सामय पटटा काश्तकारान भूमि पर काबिज कृषि कार्य करने वालो का राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाकर नामा. संख्या 20 दिनांक 06.07.1961 तहसीलदार सिकराय के द्वारा भरा गया। जिसमें उक्त कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 176 में 1/2 हिस्सा रामफूल पुत्र जीवन तथा 1/2 हिस्सा में अपीलांट श्रवण पुत्र खूबा व अपीलांट के साथ एक और नाम तथाकथित रामधन को जोड दिया गया। जिसमें अपीलांट का हिस्सा 1/4 हो गया एवं तथाकथित रामधन का हिस्सा गलत रूप से 1/4 दर्ज हो गया। जबकि उक्त नामा में अपीलांट का हिस्सा 1/2 होना चाहिये था। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पिता रामधन ने मिलीभगत करके अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि रामधन खूबा का पुत्र नही है। रामधन का पिता का नाम मोहरपाल है। रामधन अपीलांट के परिवार में ही नही है। उक्त रामधन का उक्त कृषि भूमि पर कभी काश्त नही की तथा ना ही कभी कृषक रहा है। लेकिन रामधन ने साज करते हुये खूबा का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

पुत्र बनते हुये अपीलांट के साथ नामान्तकरण में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उक्त कृषि भूमि पर पूर्व से लेकर आज तक 1/2 हिस्से पर अपीलांट काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का खोला गया नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 06.07.1961 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बाहर मानते हुये खारीज फरमाद दी। वाद ग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/2 पर अपीलांट का प्रारम्भ से कब्जा चला आ रहा है। नामान्तकरण खोले जाते समय कब्जे की भी कोई जांच नही की गई व बिना कब्जे की जांच किये व बिना नोटिस जारी किये नामान्तकरण खोले जाने में कानूनी गलती की है। उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी होने पर नकल हेतु दिनांक 03.09.2020 को आवेदन पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 04.09.2020 को प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मियाद अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई तथा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम का कोई जवाब रेस्पोडेंट द्वारा नही दिया गया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपील पेश करने में देरी मानकर अपीलांट की अपील को मियाद के बिन्दु पर खारीज करने में कानूनी गलती की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2021 को निरस्त किया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 6.7.1961 जिसमें तथाकथित रामधन पुत्र खूबा का नाम दर्ज किया है वहां तक निरस्त फरमाने की कृपा करे तथा साबिक खसरा नम्बर 176 के हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 0.66 है0 में सें 1/2 हिस्से पर अपीलांट के नाम नामान्तकरण खोले जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ताओ ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थं न्यायालय अतिरिक्त जिला दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2021 पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे।

7. मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यो पर विचार किया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय में साबिक खरा नम्बर 176 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि पटटी काश्तकारान थी। भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 287 रकबा 0.66 है0 बना दिये। वर्तमान में उक्त भूमि का 1/4 हिस्सा अपीलांट के नाम व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के नाम 3/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर कब्जे के अनुसार 1/2 हिस्सा पर रामफूल पुत्र जीवन जाति मीना निवासी जोदया कृषि कार्य करता चला आ रहा है। एकीकरण के सामय पटटा काश्तकारान भूमि पर काबिज कृषि कार्य करने वालो का राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाकर नामा. संख्या 20 दिनांक 06.07.1961 तहसीलदार सिकराय के द्वारा भरा गया। जिसमें उक्त कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 176 में 1/2 हिस्सा रामफूल पुत्र जीवन तथा 1/2 हिस्सा में अपीलांट श्रवण पुत्र खूबा व अपीलांट के साथ एक और नाम तथाकथित रामधन को जोड दिया गया। जिसमें अपीलांट का हिस्सा 1/4 हो गया एवं तथाकथित रामधन का हिस्सा गलत रूप से 1/4 दर्ज हो गया। जबकि उक्त नामान्तकरण में अपीलांट का हिस्सा 1/2 होना चाहिये था। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पिता रामधन ने मिलीभगत करके अपना नाम दर्ज करवा लिया, इसलिये तहसीलदार सिकराय द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 20 दिनाक 06.07.1961 को निरस्त करवाने एवं अपीलांट का उक्त कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 176 के हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 0.66 है0 में से 1/2 हिस्से पर नामान्तकरण खोले जाने का निवेदन किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील को मियाद बाहर मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2021 पारित कर खारीज की गई।

8. हम समझते हैं कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 06.07.1961 ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय जिला दौसा के विरूद्ध प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने पर अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2021 पारित कर अपीलांट की अपील खारीज की गई है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण की अपील 39 वर्ष पश्चात पेश की गई है। उक्त अवधि में प्रश्नगत नामान्तकरण का अपीलांट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

को जानकारी नही हो ऐसा संभव नही है। हम अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 06.07.1961 ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय जिला दौसा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2021 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है एवं अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट् खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

1/2/2022
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 01.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/02/2022
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner